such public sector units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The C&AG of India report No. (1) & (3) of 1993 contains a para on investment of surplus funds by some public sector undertakings. The PSEs and the administrative Ministries/Departments concerned look into the specific objections mentioned in the C&AG report and take suitable remedial measures.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यशील पूंजी की कमी

4308. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता का कम उपयोग होने का प्रमुख कारण कार्यशील पूंजी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से कौन-कौन से उपक्रम प्रभावित हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों में क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हैं । कुछ सरकारी उपक्रमों के मामले में कार्यचालन पूंजी की कमी इन कारणों में से एक सुसंगत कारण है । क्षमता के कम उपयोग के अन्य कारण हैं—कच्चे माल की कमी/अनुपलब्धता, विद्युत की कमी, क्रयादेशों की कमी, संयंत्र एवं मशीनों की खराबी तथा निम्न उत्पादकता/क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने यह सूचित किया है कि कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण उक्त अवधि के दौरान उनकी क्षमता उपयोग प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है । इन उपक्रमों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) । कार्यचालन पूंजी के प्रबन्ध का दायित्व मुख्यत: प्रबन्धन का है । बहरहाल यदि संसाधन उपलब्ध हो तो सरकार कुछेक सरकारी उपक्रमों को गैर-योजनागत ऋण भी देती है ताकि वे अपने कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें ।

विवरण

1. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
2. भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि०
3. एल्गिन मिल्स कंपनी लि०
4. भारतीय उर्वरक निगम लि०
5. भारी इंजीनियरी निगम लि०
6. इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
7. महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
8. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
9. राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि०
10. नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि०
11. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
12. नेटेका (गुजरात) लि०
13. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०
14. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा) लि०
15. उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
16. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
17. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
18. टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित केन्द्र

4309. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में इस समय राज्य-वार और शहर-वार कितने खादी ग्रामोद्योग केन्द्र स्थापित हैं;

(ख) इन केन्द्रों में किस-किस चीज का उत्पादन होता है; इन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; इन केन्द्रों में कितने पुरुष कर्मचारी हैं और कितनी महिला कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा वार्षिक बजट में कोई धनराशि आबंटित की जा रही है; क्या इन केन्द्रों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और देश में कितने नए केन्द्र खोले जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) के० वी० आई० सी० सीधे पंजीकृत संस्थाओं के जरिये खादी कार्यक्रम चलाती है जबकि ग्रामोद्योग कार्यक्रम प्रमुखत: के० वी० आई० बोर्डों द्वारा चलाया जाता है । 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 2353 है । के० वी० आई० कार्यक्रम अनेक सहकारी समितियों द्वारा भी चलाये जाते हैं जिनकी संख्या 29813 है तथा 30 राज्य के० वी० आई० बोर्ड हैं ।

(ख) खादी के अतिरिक्त के० वी० आई० सी० के कार्य-क्षेत्र तथा के० वी० आई० सी० अधिनियम के अधीन आने वाले